



141



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वा लियर, शिवावर, भाँपाल  
निगरानी 690-PBR-15 प्रकरण क्रमांक

श्री. जगदीश जी  
निवासी काशी  
26.3.15 को कोष  
निर्देश 0821  
25

1- हरिसिंह आ० श्री नन्हेंसिंह दांगी,  
2- रमेशसिंह आ० श्री सूरजसिंह,  
दोनों निवासीगण ग्राम गेहूँरास,  
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन(म०प्र०)----- निगरानी कर्ता  
विरुद्ध

Entry 152

CP 15-415

20-3-15

- ✓ 1- सरदारसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह,
- ✓ 2- शिवसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह,
- ✓ 3- रामसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह,
- ✓ 4- महा राजसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह,
- 5- रूपसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह

क्रमांक एक से पांच तक निवासीगण ग्राम  
गेहूँरास तहसील बेगमगंज जिला रायसेन(म०प्र०)

पद- श्रीमति गोमतीबाई पत्नी श्री मेहता बसिंह  
निवासी ग्राम पढा तहसील व जिला सागर,

पद- श्रीमति हरबाई पत्नी श्री रामसिंह निवासी  
ग्राम बरोवा तहसील व जिला सागर --- प्रतिनिगरानी कर्ता

म० प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 40 के अन्तर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानी कर्ता द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज  
जिला रायसेन के प्रकरण क्रमांक काज-६।१३-१४ में पारित  
आदेश क्रमांक ७-३-२०१५ से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर यह  
निगरानी निधीरत समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।  
-----000-----



:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गेहूँरास  
के भूमि क्षेत्रा क्रमांक ७६, ८०, ८२, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ९०, ९१, ९४ १  
९५।२, ९४६, ९५०, ९६१, २५६।१४६, २५६, २५७, कुल कित्त १८ कुल  
रकबा ५४-१७ एकड़ भूमि प० ह० नं- ७ के तानांतरण पंजी क्रमांक ३

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 690-पीबीआर/2015 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। उभयपक्ष सूचित हो ।</p> <p style="text-align: center;"> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	